


कार्यालय हरिद्वार रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक 255TH/प्रशा0 2(क) 104/2023-24

दिनांक 21/4/2023

प्रतिलिपि: संलग्न शासनादेश संख्या 212(1)/IX-1/2016/2011/2023, दिनांक 17.02.2023
इस आशय से प्रेषित है कि नियमानुसार सम्बन्धित द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

01. उपाध्यक्ष महोदय को उनके आदेश दिनांक 24.03.2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. मुख्य वित्त अधिकारी, को सूचनार्थ।
03. समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. सहायक अभियन्ता श्री पंजक पाठक को इस आशय से कि उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.02.2023 पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 24.03.2023 को स्वीकृति प्रदान की गयी है। तदनुसार सूचनार्थ।
05. प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. सिस्टम एडमिनीस्ट्रेट ह0रू0वि0प्रा0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त शासनादेश को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
07. गार्ड पत्रावली।
08. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


सचिव

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यूँकी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 17 फरवरी, 2023

विषय : राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु वाहन क्रय/अधिप्राप्ति नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 169/IX-1/2016/2011/2016 दिनांक 10 मार्च, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट/अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के ऐसे अधिकारियों जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य है, के उपयोगार्थ वाहन क्रय/अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2. उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2016 निर्गत होने के उपरान्त वाहन निर्माण सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि, अनिवार्य किए गए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों, प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी उच्चीकृत मानकों, स्पेयर पार्ट्स तथा ईंधन के मूल्य में हुई वृद्धि आदि परिस्थितियों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाहन क्रय/अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में प्रचलित उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2016 को अवक्रमित करते हुए ऐतद्विषयक अग्रेतर प्रस्तरो में यथाउल्लिखित नवीन नीति निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. शासकीय वाहन क्रय हेतु नवीन मानक एवं प्रक्रियात्मक दिशा-निर्देश :

- (1) राज्य के विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं ऐसे अधिकारियों जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य है, के उपयोगार्थ वाहन क्रय हेतु निम्न तालिका में यथाउल्लिखित श्रेणीवार अधिकतम वाहन क्रय मूल्य अनुमन्य होंगे :-

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य (₹ में)	ई-वाहन की दशा में क्रय मूल्य (₹ में)
1	2	3	4
ए	मा. मंत्रीगण, मुख्य सचिव, मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मा. आयोगों के अध्यक्ष, अपर मुख्य सचिव, प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट (HoFF), महानिदेशक पुलिस, प्रमुख सचिव तथा अन्य समकक्षीय।	25 लाख	35 लाख
बी	सचिव, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, प्रिंसिपल चीफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष एवं समकक्षीय।	20 लाख	25 लाख
सी	अपर सचिव, अपर विभागाध्यक्ष, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपर पी.सी. सी.एफ., जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक /पुलिस अधीक्षक एवं समकक्षीय।	18 लाख	20 लाख
डी	विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकारी, मण्डल/सम्भाग स्तरीय अधिकारी, नगर पालिका अध्यक्ष एवं समकक्षीय।	14 लाख	16 लाख
ई	नगर पंचायत अध्यक्ष, जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकारी जिन्हें शासकीय वाहन अनुमन्य हो।	10 लाख	12 लाख